परिषद के मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में दिनांक 4-2-78 को प्रातः 10 बजे पूर्वान्ह में हुई उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1978 की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त

सर्वश्री :-

बी0 के0 गोदावजी	अध्यक्ष	अध्यक्ष
एस0 पी0 सिंह	आवास आयुक्त	सदस्य
त्रिभुवन नारायण सिंह		सदस्य
राम औतार दीक्षित		सदस्य
अरविन्द वर्मा	विशेष वित्त सचिव (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
के0 एन0 द्विवेदी	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम	सदस्य
ए0 पी0 दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
गोवर सिंह	उप सचिव (स्वायत्त शासन सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
एन0 पी0 लाल	प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ	सदस्य

की कार्यवाही पर विचार विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
	2	3	4
(1)	परिषद की दिनांक 24-10-77 एवं 4-11-77 को हुई वर्ष-1977 की सप्तम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	1/(1)/78	परिषद की दिनांक 24-10-77 एवं 4-11-77 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्नांकित संशोधन के साथ की गई:- VI /(6)/77- परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि आयकर विभाग के अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाय तथा किन शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उन्हें भूमि दी जाय, इसका प्रस्ताव तैयार करके परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये। VI /(10)/77-विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि श्रीमती के0 एन0 सिंह के अनुरोध को स्वीकार करने से गलत दृष्टान्त स्थापित हो जायगा परन्तु श्रीमती सिंह को आवंटन में प्राथमिकता दी जा सकती है और भारत में विदेशी मुद्रा में भुगतान के सम्बन्ध में नियमावली बना ली जाय।
(2)	परिषद की वर्ष-1977 की सप्तम बैठक दिनांक 24-10-77 एवं 4-11-77 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट।	1/(2)/78	परिषद की बैठक दिनांक 24-10-77 एवं 4-11-77 को कार्यवृत्त पर अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा गत बैठकों में लिये

--2

3	4
निधान	गये निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा हेतु निम्नांकित इम्पलीमेन्टेशन कमेटी (Implementation Committee) का गठन किया:-

(1) आवास आयुक्त — संयोजक

(2) श्री टी० एन० सिंह — सदस्य

(3) आयुक्त एवं सचिव स्वा०शा० अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी। — सदस्य

उक्त इम्पलीमेंटेशन कमेटी की बैठक प्रत्येक माह होगी। इस कमेटी की रिपोर्ट परिषद की प्रत्येक बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।

निम्नलिखित मदों के सम्बन्ध में परिषद ने उनके सामने अंकित निर्देश दिये:-

(1) राम तीर्थ मार्ग हिल्टन योजना:-

लखनऊ विकास प्राधिकरण से निराबाधित प्रमाण पत्र(No objection Certificate) शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया जाय। साथ-साइ प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी अतिशीघ्र तैयार की जाय।

(2) एम एम कलेक्शन विभाग के लिये स्वीकृत अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति अतिशीघ्र कर ली जाय तथा कार्य प्रगति 6 माह के बाद पुनः रिव्यू की जाय। सहायक लेखाकार के 50% पद सीधी भर्ती से भरना उचित होगा और उसके लिये नियम बना लिया जाय।

(3) बहुमंजिली भवनों के निर्माण हेतु एक्सपर्टाइज expertise विकसित करने के लिये यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान डिजाइन डिवीजन के लिये सीधी भर्ती द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के वेतन-क्रम में एक स्टक्चरल इन्जीनियर(Structural Engineer) की नियुक्ति की जाय। आयु सीमा न्यूनतम 40 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष रहेगी। योग्यता एवं अनुभव निर्धारित कर ली जाय। इस पद के सृजन हेतु समस्त कार्यवाही कर ली जाय।

-3

1	2	3	4
			(4) भूमि अर्जन के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु गाइड लाइन्स की संकलित विधि परामर्शी से व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा अतिशीघ्र करवाई जाय।
			(5) परिषद के अधिकारियो एवं कर्मचारियों को चैकित्सिक सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में जो सूचना राज्य विद्युत परिषद से अपेक्षित है, उसे व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा एकत्रित किया जाय।
			(6) हाउस बिल्डिंग एडवान्स के सम्बन्ध में विनियम की तैयारी हेतु जो सूचना सचिवालय से वित्त विभाग से अपेक्षित है वह भी व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा प्राप्त की जाय।
			(7) गढ़रोड योजना मेरठ के अन्तर्गत आयकर विभाग को 4 एकड़ विकसित भूमि दिये जाने के सम्बन्ध मे यह निर्णय लिया गया कि आयकर विभाग के अनुरोध पर अनुकूल विचार किया जाय और जिन शर्तों एवं प्रतिबन्धों पर उक्त भूमि उन्हे दी जानी है उसका प्रारूप तैयार करके नीति निर्धारित कर ली जाय।
			(8) उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ को जो 20 लाख का ऋण दिया गया था उसकी वापसी की अवधि 31-3-78 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया तथा यह तय किया गया कि पूर्व नियत अवधि के पश्चात ब्याज 9-1/2% की दर से लिया जाय।
			(9) जो व्यक्ति विदेशी मुद्रा पर परिषद के भवन/भूखण्ड प्राप्त करना चाहते है उनके सम्बन्ध में नियमावली तथा निर्देश तैयार किये जाय।
			(10) बरेली सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना का विस्तृत प्राक्कलन परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय। विस्तृत प्राक्कलन अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता से दिनांक 15-2-78 तक प्राप्त किया जाय।

1	2	3	4
			(11) परिषद द्वारा निर्मित योजनाओं में प्रशासनिक व्यय के निर्धारण के सम्बन्ध में गुजरात तथा मध्य प्रदेश से जो सूचना अपेक्षित है उनको अतिशीघ्र (टेलेक्स भेजकर) मंगाया जाय। (12) परिषद की जिन योजनाओं को जारी रखा जाना है अथवा संशोधन किया जाना है या समाप्त किया जाना है उनके बारे में सुझाव (in composite manner) परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय। (13) तालकटोरा रोड योजना लखनऊ एवं ट्रान्स-यमुना योजना आगरा के बारे में शासन के उद्योग विभाग से इस आशय के औपचारिक आदेश प्राप्त किये जायें कि उक्त योजनाओं की भूमि पर उद्योग विभाग का कोई कार्यक्रम नहीं है। (14) इन्जीनियरिंग सम्बन्धी कार्यक्रमों में परिषद के निर्णयों की कार्यवाही शीघ्र नहीं होती है। यह भविष्य में सुनिश्चित कर लिया जाय कि परिषद के आदेशों का समय से पालन हो।
(3) सेकेंड कम्पोजिट हाउसिंग प्रोजेक्ट उन्नाव के लिये हडको से रु0 12.57 लाख का ऋण।		1/(3)/78	परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार किया। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि कार्य प्रारम्भ करने से पहले परिषद के समक्ष पूर्ण स्थिति रखी जाय। जिन भवनों की अभी तक कोई मांग प्राप्त नहीं हुई, उनके बारे में भी सुझाव प्रस्तुत किये जायें कि सम्बन्धित क्षेत्र को कैसे विकसित (reclaim) किया जाय ताकि उक्त भवनों का निस्तारण हो सके। दोषपूर्ण भूमि के चयन तथा अन्य पहलुओं के बारे में भी आवास आयुक्त विभागीय जाँच करें तथा भविष्य के लिये इस प्रकार के मामलों के लिये जिम्मेदारी निश्चित कर दी जाय।
) ई०डब्लू०एस० आवास स्कीम, बरेली पीलीभीत रोड योजना सं0-III (फेज-III) बरेली के लिये हडको से रु0 15.00 लाख का ऋण।		1/(4)/78	परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार किया।

1	2	3	4
	कम्पोजिट हाउसिंग प्रोजेक्ट नन्दनपुरा झांसी के लिये हडको से रु0 16.77 लाख का ऋण।	1/(5)/78	परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार किया।
	मेट्रोपोलिटन शहरों तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार की संघठित नगर विकास योजना के अन्तर्गत मेरठ शहर के स्वीकृत विकास योजना को कार्यान्वित करने हेतु रु0 50.00 लाख का ऋण।	1/(6)/78	परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार किया।
	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कर्तव्य) विनियम-1966 आहरण तथा वितरण अधिकारों के प्रदत्त करने के सम्बन्ध में संशोधन।	1/(7)/78	परिषद ने ससर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार किया।
	नन्दनपुरा योजना, झांसी के अन्तर्गत केन्द्रीय भण्डारागार निगम को 4.65 एकड़ भूमि केन्द्रीय भण्डारागार हेतु दिया जाना।	1/(8)/78	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने भू- उपयोग परिवर्तित करने के प्रस्ताव में असहमति व्यक्त की परन्तु परिषद ने प्रस्ताव को स्वीकार किया।
	पुरजकन्द योजना, गोरखपुर के अन्तर्गत केन्द्रीय भण्डारागार निगम को 5.00 एकड़ भूमि केन्द्रीय भण्डार हेतु दिया जाना।	1/(9)/78	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने भू-उपयोग परिवर्तित करने के प्रस्ताव में असहमति व्यक्त की परन्तु परिषद ने प्रस्ताव को स्वीकार किया।
	परिषद के ड्राइवरों को साइकिल भत्ता की स्वीकृति।	1/(10)/78	परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अस्वीकार किया।
	मुख्यालय पर एक अतिरिक्त सहायक आवास आयुक्त एवं उनसे सम्बद्ध स्टाफ के सृजन के सम्बन्ध में।	1/(11)/78	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव के परीक्षण हेतु निम्न प्रकार कमेटी का गठन किया:- 1- श्री अरविन्द वर्मा, विशेष वित्त सचिव 2- श्री के0एन0 द्विवेदी, प्रबन्ध निदेशक, जल निगम 3- आवास आयुक्त उक्त समिति का निर्णय परिषद के समक्ष विचारार्थ रखा जाय।
	परिषद द्वारा निर्मित एवं अनिस्तारित व्यवसायिक सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु नियम में शिथिलता लाना।	1/(12)/78	परिषद ने सर्वसम्मति से निम्नांकित संशोधनों सहित प्रस्ताव को स्वीकार किया:- 1- अनिस्तारित व्यवसायिक सम्पत्तियों का आवंटन छमाही किश्तों पर करने के अनुमति दी जाती है जिनकी वसूली आठ वर्षों के अन्तर्गत की जायेगी।

— 6

1	2	3	4
			2- मूल्य का 1/4 भाग प्रारम्भ में लिया जायगा। 3- डिफाल्टरों(defaulters) के ऊपर तावान (पैनाल्टी) 10% तक आवास आयुक्त अपने विवेकानुसार लगायेंगे। 4- सिनेमा प्लाट्स अगर खाली हैं तो उसे आवासीय अथवा अन्य भू-उपयोग में परिवर्तित कर लिया जाय।
3) सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना मुरादाबाद में स्थित श्री जी0डी0पटनो के भवन को योजना से मुक्त करने के सम्बन्ध में।		1/(13)/78	अवलोकित। अतिक्रमण के बारे में नगरपालिका, मुरादाबाद को भी सूचित कर दिया जाय।
4) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, जूनियर इंजीनियर्स (सिविल) सर्विस रेगुलेशंस, 1973 अवर अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के लिये भी लागू करने के सम्बन्ध में।		1/(14)/78	परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार किया परन्तु अवर अभियन्ता, इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल का कैडर अलग रहेगा।
5) सहायक लेखाकार के रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।		1/(15)/78	उक्त प्रस्ताव पर परिषद ने निम्नांकित निर्णय लियाः- 1- उच्च श्रेणी सहायकों में से ज्येष्ठता के अनुसार कुछ उपयुक्त कर्मचारियों को सहायक लेखाकार के पद पर तदर्थ आधार पर प्रोन्नति देकर कार्य करने का अवसर दिया जाय तथा छः माह बाद इनकी विभागिक परीक्षा ली जाय कि सहायक लेखाकार का कार्य करने की पर्याप्त जानकारी या क्षमता है या नहीं। यदि प्रशिक्षण एवं परीक्षा उपरान्त उन्हें सहायक लेखाकार के पद पर अनुपयुक्त पाया गया तो उन्हें उच्च श्रेणी सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाय। 2- सहायक लेखाकार के रिक्त पदों की पूर्ति 50% सीधी भर्ती द्वारा तथा 50% पदोन्नति द्वारा की जाय। 3- विनियम में उपरोक्तानुसार संशोधन का प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

— 7

2	3	4
6) परिषद के मूल्यांकन विभाग का नियमितीकरण।	1/(16)/78	परिषद के मूल्यांकन विभाग के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त परिषद द्वारा निम्नलिखित पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की:- संगणक — एक पद टंकक — एक पद उच्च श्रेणी सहायक — एक पद अर्दली/चपरासी — एक पद
7) सहारनपुर में देहली रोड पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-5, को धारा 31(2)के अधीन परिषद की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रतिफलन।	1/(17)/78	परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार किया।
8) परिषद में उप आवास आयुक्त एवं सचिव का पद पी0सी0एस0 के स्पेशल ग्रेड में करने के सम्बन्ध में।	1/(18)/78	सचिव का पद पी0सी0एस0 के स्पेशल ग्रेड (1400-1800)के वेतनक्रम में स्वीकार किया गया। विशेष वेतन का मामला शासन के प्रतिनियुक्ति की शर्त के अन्तर्गत तय किया जायेगा।
9) हरदुआगंज के लिये परिषद की योजना।	1/(19)/78	अवलोकित। प्रस्ताव समाप्त किया जाय।
)) कमलानगर, आगरा के ग्राम-लश्करपुर में स्थित 9 एकड़ भूमि जो कर्बला कमेटी द्वारा मांगी जा रही है, के सम्बन्ध में।	1/(20)/78	इस सम्बन्ध में परिषद ने निम्न प्रकार कमेटी का गठन किया। आवास आयुक्त, प्रशासक नगर महापालिका, श्री टी0एन0सिंह तथा श्री राम औतार दीक्षित। कमेटी मौके पर समायना करके अपनी संस्तुति देगी जिसे परिषद की अगली बैठक में रखा जाय।
परिषद की वर्तमान वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में।	1/(21)/78	परिषद के समय अभाव के कारण प्रस्ताव पर विचार स्थगित किया।
:) आवास परिषद के अधिष्ठान में एक सर्वे एक्सपर्ट के पद का सृजन।	1/(22)/78	इस प्रस्ताव के परीक्षण हेतु निम्न प्रकार कमेटी का गठन किया गया:- 1- श्री अरविन्द वर्मा, विशेष वित्त सचिव 2- श्री के0एन0द्विवेदी, प्रबन्ध निदेशक, जल निगम 3- आवास आयुक्त उक्त समिति की रिपोर्ट परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।

— 8

2	3	4
) निरंजनपुर टी स्टेट, देहरादून की भूमि पर बनी परिषद की ………… योजना को नगर पालिका को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।	1/(23)/78	उक्त प्रस्ताव पर परिषद द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया:- 1- जल सम्पूर्ति एवं सीवरेज जल संस्थान को हस्तान्तरित कर दी जाय। परिषद द्वारा इस सम्बन्ध मे श्री द्विवेदी, प्रबन्ध निदेशक, जल निगम के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गयी। 2- उक्त कालोनी की विद्युत के रख-रखाव के लिये राज्य विद्युत परिषद से एवं सड़कों के रख-रखाव के लिये जिला परिषद से अनुरोध किया जाय।
) परिषद योजनाओं में भूखण्ड/भवन के परिवर्तन पर परिवर्तन शुल्क का लिया जाना तथा भूखण्ड/भवन का कुल नकद मूल्य देकर क्रय करने वालों को छूट देने के सम्बन्ध में।	1/(24)/78	परिषद ने सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव को निम्नांकित संशोधन के साथ स्वीकार किया:- 1- उच्च आय वर्ग के भवनों के लिये परिवर्तन शुल्क उनके मूल्य का 2-1/2% रहेगा। 2- परिवर्तन शुल्क के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 1-2-78 से लागू माना जायेगा।
) अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय।	1/(25)/78	अनिस्तारित भवनों/भूखण्डों की समस्या, ऋण की बकाया वसूली एवं आवंटित भवनों/भूखण्डों की किश्तों की वसूली की समीक्षा की जाय। साथ मानीटरिंग की कार्य प्रणाली भी तैयार की जाय।

पुष्टि की जाए

[signature]

अध्यक्ष

20-3-78